

1- नाथीया पिता प्रथा जणवा नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी

-वादी

वनाम

- 1- मोहन पुत्र चम्पाबाई जणवा नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 2- रतन पुत्र चम्पाबाई जणवा नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 3- देवीलाल पुत्र चम्पाबाई जणवा नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 4- हीरालाल पिता प्रथा जणवा नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 5- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा कलन्दर खेड़ा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- नाथीया पिता प्रथा जणवा नि. पिण्ड सा. देह

आ.न.	रकबा	लगान
42 दक्षिण	0.05	0.35
01	1.05	0.35

2- मोहन, रतन, देवीलाल पुत्र चम्पाबाई जणवा सा. देह

आ.न.	रकबा	लगान
41	0.06	-
01	0.06	-


3- हीरालाल पिता प्रथा जणवा सा. देह

आ.न.	रकबा	लगान
42 उत्तर	0.05	0.35
01	0.05	-

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर




जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी